

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 137 P.R. / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प
की गई
कार्रवाई
बारे में


30/07/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती योगेश्वरी देवी पिता/पति हरि दयाल अहिर
मौजा उपर बगलौज थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -ii पृष्ठ संख्या-
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 103 / 71-72 के आधार पर दर्ज
है। जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के पिढी के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>उपर बगलौज</u>	<u>283</u>	<u>192</u>	<u>377/1</u>	<u>0.30 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 05/08/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
अड़की।

05/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये हैं।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती योगेश्वरी देवी मिता/पति हरि चयाल अफर मौजा-उपलबलाकीग थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा उपलबलाकीग थाना नं० 283 खाता सं० 192 प्लॉट सं० 377/1 रकबा-0.30.6कड लगान रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-उपलबलाकीग थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।